

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक-1099/11-सी- FP/UP/TRANS/148929/2021, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 21, 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद अमरोहा में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विद्युत पारेषण खण्ड हापुड़ वन में 0.00 हे० संरक्षित वनभूमि एवं अमरोहा द्वारा 220 के०वी० विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.07 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 06 वृक्षों तथा गैर वनभूमि पर स्थिति 12 वृक्ष अर्थात् कुल 18 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव FP/UP/TRANS/148929/2021

सन्दर्भ: उ०प्र० शासन की पत्र सं०-पी-247/81-2-2022-800(244)/2022, दिनांक-20.07.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद ने अपने पत्रांक-892/14-1, दि० 19.09.2022 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण सम्बन्धी अभिलेख दो प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,


(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-1099/11-सी- FP/UP/TRANS/148929/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

2-प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।

3-अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड-अमरोहा, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लि०, अमरोहा।


(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

